कार्यालय उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड

भवन संख्या 23, लेन नं0 03, शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड़, देहरादून, 248001

Mail ID :*ukmssbdun@gmail.com*; Website : ***www.ukmssb.org***, Phone: **0135 2665366**

विज्ञप्ति संख्याः 33/2025 दिनांक 25 सितम्बर, 2025

चिकित्सा शिक्षा उत्तराखण्ड विभागान्तर्गत राजकीय मेडिकल कॉलेज में फार्मासिस्ट (भेषज) के रिक्त 73 पदों पर अभिलेख सत्यापन सम्बन्धी आवश्यक सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है विज्ञापन संख्या उ0चि0से0च0बो0/परी0/15/2024–25/749, दिनांक 19 अक्टूबर 2024 के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा उत्तराखण्ड विभागान्तर्गत राजकीय मेडिकज कॉलेज में फार्मासिस्ट (भेषज) के रिक्त 73 पदों पर सीधी भर्ती के लिए जारी विज्ञापन के क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराये गए डाटा के अनुसार वर्षवार योग्यताक्रम में, जैसा कि अभ्यर्थी द्वारा डिप्लोमा में प्राप्त अंकों से प्रकट हो, के आधार पर श्रेणी–उपश्रेणीवार रिक्तियों की संख्या से लगभग तीन गुना (पूर्ण वर्ष को सम्मिलित करते हुए) अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन हेतु **दिनांक 06 अक्टूबर, 2025 (सोमवार) से दिनांक 08 अक्टूबर 2025 (बुधवार) तक** प्रातः 10:00 बजे से कार्यालय उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, भवन संख्या 23 लेन नं0 03, शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड, देहरादून में आमंत्रित किया जाता है।

फार्मासिस्ट (भेषज) के रिक्त 73 पदों के लिए तिथिवार अभिलेख सत्यापन सम्बन्धी विस्तृत दिशा–निर्देश एवं अनुक्रमांकवार अभिलेख सत्यापन समय–सारणी बोर्ड की आधिकारिक वैबसाइट **www.ukmssb.org** पर उपलब्ध है। जिन अभ्यर्थियों को बोर्ड द्वारा अभिलेख सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया है वे दिनांक 30 सितम्बर 2025 (मंगलवार) से प्रवेश पत्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से अपने पंजीकरण संख्या तथा पासवर्ड अंकित कर डाउनलोड कर सकते है।

अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि प्रवेश पत्र औपबन्धिक है तथा मात्र अभिलेख सत्यापन हेतु मान्य है। इसके आधार पर अभ्यर्थी चयन हेतु कोई भी दावा नही कर सकते है। अतः अभिलेख सत्यापन में सम्मिलित होने से पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वे विज्ञापन में दी गयी न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं, अन्य अनिवार्य अर्हताएं एवं आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र, जो ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि (दिनांक 15 जनवरी 2025) को वैध हों, धारित करते हो। अंतिम तिथि के उपरान्त निर्गत प्रमाण पत्र स्वीकार/मान्य नहीं होंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित की गई प्रविष्टियों से भिन्न कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा भरे गये आवेदन पत्र तथा मूल अभिलेख में डिप्लोमा के कुल प्राप्तांकों तथा उत्तीर्ण वर्ष में कोई भिन्नता परिलक्षित होती है तो अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों यथा अंकपत्रों तथा डिप्लोमा प्रमाण पत्र के अनुसार उनके प्राप्तांकों तथा उत्तीर्ण वर्ष में सत्यापन पटल के नामित अधिकारी के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा ही संशोधित प्राप्तांक तथा उत्तीर्ण वर्ष अंकित किया जा सकता है और अभ्यर्थी द्वारा किये गये संशोधन को स्वप्रमाणित भी किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा अनिवार्य शैक्षिक/वांछित प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराये जाने तथा आवेदन पत्र से डाटा का सही मिलान न होने की स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा इसकी पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की होगी। **किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर उसका अभ्यर्थन निरस्त करने का अधिकार बोर्ड को होगा।**

ह0/
(प्रदीप जोशी)
सचिव,